

# फर्द अहकाम (नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर

मुकाम अलवर

जय नारायण बनाम जयसिंह वगैरा


किस्म मुकदमा दावा रा0का0अधि0 ..... सं0 ..... सन् .....


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 21.09.2022 | <p>वकील वादी ने मूल वाद पेश किया दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो दिनांक 07.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी<br/>अलवर</p> <p>7/11/22<br/>पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उप०।<br/>पत्रावली अधिकारी अन्य प्रशा० कार्या<br/>में प्रस्त है। दिनांक... 16/11/22<br/>को पेश हो।</p> <p>16/11/22<br/>पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष उप०।<br/>पत्रावली अधिकारी अन्य प्रशा० कार्या<br/>में प्रस्त है। दिनांक... 15/11/22<br/>को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">रीडर</p> |  |


11/02/23 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत

में केश हुई। बाकी का जफ। बाकी ने  
प्रां पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मा  
हूँ कि मेरा प्रां से राजीनामा हो  
जाया है। उक्त वाद को माने नहीं  
चलाना चाहता। उक्त वाद को  
विद्वा करना चाहता हूँ।

अतः लोक अदालत को भावना से  
वाद विद्वा कर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली के रफ लाने का ही कर नकार  
से काम है। बाद तक मोहा दारिफ ल  
दफतर है।

  
अनंद  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
अलवर (राज०)

  
चंदन  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
अलवर (राज०)

  
सिद्धंत  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
अलवर (राज०)

दिनांक  
11/02/23  
पत्रावली  
के अंतर्गत  
है।